क्रम-संख्या—258

रजि0 नं0 एल. डब्लू./एन. पी. 56

लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0—41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, वृहस्पतिवार, 4 अप्रैल, 1991

चैत्र 14, 1913 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 533/सत्रह वि- 1-1 (क) -2-1991

लखनऊ, 20 मार्च, 1991

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1991 पर दिनांक 19 मार्च, 1991 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1991 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1991

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1991)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1991 कहा जायेगा। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 31 दिसम्बर, 1990 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1990" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1991" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1990 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 35 सन् 1990

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

आज्ञा से,

नारायण दास,

सचिव।

No. 533(2)/XVII-V—1-1 (KA)-2-1991

Dated Lucknow, March 20, 1991

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Zila Parishad (Alpakaik Vyavastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1991 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 11 of 1991) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 19, 1991.

THE UTTAR PRADESH ZILA PARISHADS (ALPAKALIK VYAVASTHA) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1991

[U. P. Act No. 11 of 1991]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

An

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1977.

It is hereby enacted in the Forty-second Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyavastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1991.

(2) It shall be deemed to have come into force on December, 31, 1990.

Amendment of section 2 of U.P. Act no.15 of 1977

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1977, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1), *for* the words and figures "31st day of December, 1990" the words and figures "30th day of June, 1991" shall be *substituted.*

Repeal and saving

3. (1) The Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyavastha) (Tritiya Sanshodhan) Adhyadesh, 1990, is hereby repealed. U. P. Ordinance no. 35 of 1990

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if this Act were in force at all material times.

By order,

NARAYAN DAS,

Sachiv.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 349 सा० (विधा०)–(3626)–1991–850 (मेक०)